

20/3/2024

पत्रावली पेश / अपार्थी की तामिलपत्त
 है। वास्तु पेश करने अवाब सस्कार
 पत्रावली दिनांक :- 18/4/2024 को
 पेश है।

18/5/24

पत्रावली पेश / पीठासीन
 अधिकारी पुत्रावली
 में जास्त है। पत्रावली वास्तु
 र विक कार्यवाही दिनांक
 23-5-24 के पेश हो।

22/5/24

पत्रावली पेश / प्रस्तावित शस्त्रे बाबर
 जांच रिपोर्ट T.O.R. डि०डीली से
 ललब की जाकर पत्रावली दिनांक -
 21/06/2024 को पेश हुई। पत्र जारी
 है।

21/6/24

पत्रावली पेश / मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जो
 शा०मिसल हुई। वकील पार्थी उप० हुई।
 बहुस अंतिम सुने जाने का विवेकन
 किया। बहुस सुनी गई। वास्तु आदेश
 पत्रावली दिनांक - 28/06/2024 को
 पेश हुई।

28/6/24

पत्रावली पेश / वकील पार्थी द्वारा बहुस के दौरान
 प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया जाकर पत्रावली का
 अवलोकन किया। पार्थी स्वयं ने अपने पत्रावली
 की चरण सख्या - 2, 4, 5 से स्पष्ट है कि पार्थी
 को शस्त्रे की वास्तविक आवश्यकता न होकर
 अपनी सुविधा हेतु शस्त्रे की आवश्यकता
 है। धारा 251(क) R.T.A. में स्वातंत्र्य

नम्बर व
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में ब्राह्मि हुए

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में ब्राह्मि हुए

की शस्ते की वास्तविक आवश्यकता होने, अथवा
शस्ते उपलब्ध नही होने पर शस्ते घोषित
करने के प्रावधान दिये गये हैं। प्राचीन द्वारा
पुस्तक प्रकरण में पूर्व में ही शस्ते चालू होने
से वास्तविक शस्ते की आवश्यकता साबित
नही होती है।

अतः प्राचीन पत्र प्राचीन साबित।
चलने योग्य नही होने से स्वारीज क्रिया
जाता है। पत्रावली कैसल शुमार की जाकर
बाद तकमिल नम्बर से कम होकर शस्ते
दफ्तर हो। निर्णय से इजलास सुनाया
गया।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली